सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, RAJASTHAN
6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर–302004
6-B, JHALANA DOONGRI, JAIPUR-302004
दूरभाष/Phone : 0141- 2708078, 2709177 फैक्स/ Fax: 2707090
ई-मेल/ E-mail : dco-raj.rgi@censusindia.gov.in

CENSUS OF INDIA 2021

150 YEARS OF CELEBRATING

क्रमांक : I-11036/1/2020/ 170 दिनांक : 19-03-2020

प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी,
(समस्त जिला कलक्टर्स एवं
आयुक्त, नगर निगम)।

भारत की जनगणना 2021– परिपत्र संख्या–9

विषय :– जनगणना 2021 के लिये नियुक्त जनगणना पदाभिहित अधिकारीगण के कर्त्तव्यों के संबंध में।

प्रसंग :– भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय की ओर से जारी परिपत्र संख्या–14 क्रमांक 9/34/2019–सीडी (जनगणना) दिनांक 17.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की ओर से प्रासंगिक परिपत्र संख्या–14 जारी किया गया है। इस परिपत्र में जनगणना 2021 के संबंध में किये जाने वाले प्रथम मकान गणना व मकानसूचीकरण का उल्लेख करते हुए जनगणना का कार्य 2021 के लिये प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला जनगणना अधिकारी व चार्ज अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार की ओर से जारी की गयी अधिसूचना व मकानसूचीकरण तथा मकान गणना हेतु प्रशिक्षण नियत समयानुसार किये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं।

इस परिपत्र में जनगणना अधिनियम, 1948 एवं जनगणना नियम, 1990 में समय–समय पर हुए संशोधनों का उल्लेख करते हुए अवगत कराया है कि जनगणना हेतु नियुक्त अधिकारियों के कर्त्तव्य जनगणना अधिनियम के नियम–05 में वर्णित है। जनगणना 2021 के प्रथम चरण के तहत किये जा रहे मकानसूचीकरण व मकान गणना के कार्य के त्वरित व समय पर निष्पादन किये जाने हेतु जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा–11 में वर्णित शास्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला/उप जिला जनगणना अधिकारी, चार्ज अधिकारी, सुपरवाईजर व प्रगणकों से जनगणना 2021 के प्रथम चरण के संबंध में निम्न कर्त्तव्य व उत्तरदायित्व बताये हैं :–

1. **प्रमुख जनगणना अधिकारी** :– राज्य सरकार की ओर से जिला कलक्टर्स एवं आयुक्त, नगर निगम को प्रमुख जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों से जनगणना 2021 के संबंध में निम्न अपेक्षा की गयी हैं :–
   i. जिले के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में जनगणना कार्य सम्पादित करवाने हेतु जिला/उप जिला व चार्ज अधिकारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करवाने का कार्य।
   ii. सम्पूर्ण जिलें में (नगरीय/पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र आदि) मकानसूचीकरण व गणना के कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण करते हुए समय पर पूर्ण कराना एवं भरी हुई एवं खाली अनुसूचियों (Schedules) को जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान को निर्धारित समय सीमा में भिजवाये जाने की कार्यवाही करना।

iii. जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से निर्धारित समय सीमा में प्रगणक, सुपरवाईजर एवं चार्ज अधिकारीगण को उनके प्रभावी रूप से कर्त्तव्य निष्पादन हेतु समुचित प्रशिक्षण दिलवाये जाने की व्यवस्था करना।

iv. प्रथम चरण के दौरान जनगणना प्रबन्धन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल के माध्यम से जिले/चार्ज में हो रहे जनगणना कार्य की प्रगति को देखने, मोनेटरिंग करने व क्षेत्र में अधिकाधिक भ्रमण करने का कार्य।

v. जनगणना कार्य में कोताही बरतनें वाले कार्मिकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर अभियोजित किये जाने की कार्यवाही।

vi. जिन जिलों में नगर निगम हैं, उन जिलों में जनगणना प्रबन्धन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल पर दो Adminitrator बनाये गये है। जिनमें एक जिला प्रशासन व दूसरा नगर निगम का बनाया गया है। जिला प्रशासन के Adminitrator को ग्रामीण, वैधानिक कस्बा (Statutory town), शहरी कस्बा के लिये यूजर आईडी बनाने होगें तथा नगर निगम के Adminitrator को केवल उनके क्षेत्राधिकार में स्थित शहरी क्षेत्र के लिये ही यूजर आईडी बनाने होगें।

vii. जनगणना प्रबन्धन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल पर फील्ड ट्रेनर्स की यूजर आईडी बनाने, प्रशिक्षण आयोजित करवाने, बैच बनाने, प्रशिक्षण हेतु मनोनीत करने एवं प्रशिक्षण समाप्ति के बाद CMMS पोर्टल पर उपस्थिति को अद्यतन करवाने का कार्य।

2. **<u>जिला/अतिरिक्त जिला/उप खण्ड जनगणना अधिकारी</u>** :– राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर्स, सहायक निदेशक/जिला सांख्यिकी अधिकारी, सांख्यिकी विभाग तथा उप खण्ड अधिकारीगण को क्रमशः जिला/अतिरिक्त जिला/उप खण्ड जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों से जनगणना 2021 के संबंध में निम्न अपेक्षा की गयी हैं :–

i. (अ) जिला व उप जिला में आवश्यकता अनुसार चार्ज अधिकारी एवं अतिरिक्त चार्ज अधिकारियों का आंकलन व नियुक्ति करवाने का कार्य।

(ब) जनगणना प्रबन्धन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल पर क्षेत्राधिकार में स्थित सभी चार्ज अधिकारियों के Admin User बनवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(स) जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिलें के सम्पूर्ण क्षेत्र को जनगणना खण्डों में विभक्त किये जाने की कार्यवाही। जिसमें एक चार्ज में नियुक्त प्रगणक, सुपरवाईजर आदि को आवंटित क्षेत्र का उल्लेख हो।

(द) गांवों और कस्बों की सूची को नक्शे सहित अद्यतन किये जाने की कार्यवाही।

(य) जनगणना कार्य निदेशालय को आवश्यकता अनुसार सांख्यिकी आंकड़ें उपलब्ध करवाने व तैयार करवाने में आवश्यक सहयोग करना।

(र) जनगणना कार्य के कार्यक्रम को समय–समय पर आमजन तक पहुंचाने हेतु समुचित प्रचार–प्रसार की कार्यवाही करना।

ii. फील्ड ट्रेनर्स के लिये प्रशिक्षक एडमिन का कार्य करना। इसमें चार्ज अधिकारीगण को पर्याप्त प्रशिक्षण दिलवाना, चार्ज अधिकारीगण के माध्यम से प्रगणक व सुपरवाईजर्स को जनगणना 2021 के प्रथम चरण में प्रभावी रूप से कर्त्तव्य निर्वहन करने हेतु प्रशिक्षित करवाने एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी को मकानसूचीकरण व मकान गणना के कार्य में संबंधित क्षेत्राधिकार में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

iii. जनगणना प्रबन्धन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल पर जिला/चार्ज में हो रही जनगणना की प्रगति को देखने व मोनेटरिंग करने का कार्य तथा प्रथम चरण के दौरान संबंधित क्षेत्राधिकार में अधिकाधिक भ्रमण।

(य) प्रगणक एवं सुपरवाईजर्स को प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण समाप्ति के अन्तिम दिवस को जनगणना अनुसूची व अन्य सामग्री दिये जाने की सुनिश्चिता करना।

iv. मकानसूचीकरण व मकान गणना के लिये हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLBs) व जनसंख्या की जनगणना के लिये प्रगणक ब्लॉक (Enumeration Blocks (EBs)) का निदेशालय जनगणना कार्य, राजस्थान की ओर से उपलब्ध करवाये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार गठन करने का कार्य।

v. प्रगणक व सुपरवाईजर्स की CMMS पोर्टल पर पूर्ण सूचना यथा– नाम, पद, पता, मोबाईल नम्बर, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि अपलोड करवाने का कार्य।

vi. प्रगणक व सुपरवाईजर के माध्यम से हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLBs) व प्रगणक ब्लॉक (Enumeration Blocks (EBs)) की समुचित पहचान कर नक्शे आदि बनवाने का कार्य करना।

vii. चार्ज के सभी सुपरवाईजर्स के माध्यम से HLB, Mapping 2021 mobile apps का प्रयोग करते हुए HLB terminal boundaries को Caputure करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

viii. जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान की ओर से की गयी समय सीमा में जनगणना 2021 के लिये आधारभूत दस्तावेज यथा– मकानसूचीकरण व मकान की गणना व जनसंख्या की गणना के लिये सामान्य ग्राम रजिस्टर व चार्ज रजिस्टर तैयार करवाना सुनिश्चित करेगें।

ix. CMMS पोर्टल पर उपलब्ध प्रगणक ब्लॉक (EB) के संबंध में सेक्शन–1 व 2 की पूर्व पूर्ति के साथ Abridged House List (ABL) स्व–निर्मित (Auto Generted) करवाना सुनिश्चित कर संबंधित प्रगणक को उपलब्ध करवाने की कार्यवाही करना एवं मकानसूचीकरण के आंकड़ें ऑफ लाईन लिये जाने पर AHL के भाग संख्या–1 व 2 की पूर्ति दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार मकानसूचीकरण की अनुसूची से कॉपी कर उपलब्ध करवाना तथा AHL व प्रगणक ब्लॉक का एक पूर्ण सेट संबंधित प्रगणक को जनसंख्या की जनगणना किये जाने से पूर्व उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना।

x. चार्ज के सुपरवाईजर व प्रगणक के माध्यम से बिना किसी त्रुटि अथवा दोहराव के चार्ज की HLB व प्रगणक ब्लॉक (EB) का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना।

xi. क्षेत्र में किये जा रहे कार्य की प्रगति को क्षेत्र के सघन दौरे व CMMS पोर्टल पर प्रगति का अवलोकन कर दी गयी समय सीमा में कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करना।

xii. चार्ज में जनगणना 2021 के प्रथम चरण के दौरान एकत्रित किये जा रहे आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना।

xiii. (अ) चार्ज के सभी सुपरवाईजर्स से भरी हुई अनुसूचियां व खाली फॉर्म समय पर एकत्रित करना।

(ब) भरी हुई अनुसूचियां व अन्य फॉर्म/सामग्री भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय व जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान को प्रेषित करने की कार्यवाही इस संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेगें।

xiv. जनगणना संबंधी कार्य सम्पादित होने के एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर जनगणना के संख्या के अस्थायी आंकड़ें निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान के माध्यम से जनगणना आयुक्त, भारत सरकार को भिजवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

iv. प्रगणकों द्वारा जनगणना 2021 के प्रथम चरण के दौरान भरी गयी विभिन्न अनुसूचियां तैयार किये गये विभिन्न सारांश (Abstracts), अन्य सूचनायें जो तैयार की गयी है व खाली अनुसूचियों को एकत्रित करवाने का कार्य।

v. प्रगणकों की ओर से तैयार सूचना को पूर्ण जिले के लिये समेकित रूप से तैयार करवाना।

vi. प्रथम चरण समाप्ति के पश्चात् प्रगणकों द्वारा उपलब्ध करवायी गयी पूर्ण/आंशिक रूप से भरी हुई एवं खाली अनुसूचियों के आधार पर जिले के लिये एक समेकित सूची तैयार करने व चार्ज अधिकारी/जनगणना अधिकारी से प्रमुख जनगणना अधिकारी के माध्यम से चार्ज संबंधी समस्त सूचना प्राप्त कर जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान को समय पर भिजवाना सुनिश्चित करना।

vii. ऐसे समस्त आवश्यक कार्य जो जनगणना कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक हो, पूर्ण करना।

viii. जनगणना प्रबन्धन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल पर जिला प्रशासन का यूजर आईडी तैयार करवाकर ग्रामीण, शहरी व वैधानिक कस्बों के चार्ज अधिकारीगण के यूजर आईडी बनवाने का कार्य। जिन जिलों में नगर निगम स्थित है, उन जिलों में नगर निगम क्षेत्रों के लिये यूजर आईडी प्रमुख जनगणना अधिकारी (आयुक्त, नगर निगम) द्वारा क्षेत्राधिकार के शहरी क्षेत्र के चार्ज अधिकारीगण के लिये यूजर आईडी बनवायी जायेगी।

ix. जनगणना प्रबन्धन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल पर फील्ड ट्रेनर्स की यूजर आईडी बनाने, प्रशिक्षण आयोजित करवाने, बैच बनाने, प्रशिक्षण हेतु मनोनीत करने एवं प्रशिक्षण समाप्ति के बाद CMMS पोर्टल पर उपस्थिति को अद्यतन करवाने का कार्य।

3. **चार्ज अधिकारी** :– राज्य सरकार की ओर से तहसीलदारगण व अतिरिक्त तहसीलदार को क्रमशः चार्ज अधिकारी/अतिरिक्त चार्ज अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों से जनगणना 2021 के संबंध में निम्न अपेक्षा की गयी हैं :–

i. (अ) क्षेत्राधिकार में आवश्यकता अनुसार सुपरवाईजर, प्रगणक लगाये जाने का आंकलन व नियुक्ति करवाने का कार्य।

(ब) जनगणना प्रबन्धन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल पर सुपरवाईजर्स व प्रगणकों के यूजर अकाउन्ट खुलवाये जाने की कार्यवाही करना।

(स) प्रगणक व सुपरवाईजर्स के नियुक्ति पत्र तथा परिचय पत्र बनाने व जारी करने का कार्य।

ii. क्षेत्राधिकार में नियुक्त प्रगणक व सुपरवाईजर्स को मोबाईल ऐप का उपयोग करने तथा इसके माध्यम से आंकड़ें एकत्रित करने हेतु प्रोत्साहित करना।

iii. (अ) प्रगणकों हेतु जारी निर्देशों से स्वयं को पूर्ण भिज्ञ रखने तथा सुपरवाईजर व प्रगणकों को प्रशिक्षण के दौरान निर्देशों के बारें में पूर्ण रूप से अवगत करवाते हुए उनके प्रभावी रूप से कर्त्तव्य निष्पादन किये जाने में सहयोगी होना।

(ब) प्रशिक्षण हेतु ऐसे समुचित स्थान का चयन करना। जिसमें पर्याप्त रोशनी, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, शुद्ध पेयजल सुविधा, इंटरनेट सुविधा (वाई–फाई सहित) एवं लगभग 40–50 बैठक क्षमता हो। प्रशिक्षण सही रूप से दिया जायें, इसकी सुनिश्चिता की जावें।

(स) सुपरवाईजर व प्रगणकों को निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मनोनीत करने का कार्य।

(द) भारत के महारजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान से जनगणना के संबंध में पोस्ट ऑफिस के संबंध में प्राप्त होने वाली सामग्री की प्राप्ति हेतु पोस्ट ऑफिस के स्थानीय पदाधिकारियों से समन्वय एवं सम्पर्क का कार्य।

xv. प्रगणकों द्वारा प्रगणक ब्लॉक के संबंध में तैयार सारांश व स्टेटमेन्ट को समेकित कर भरी व खाली अनुसूचियों सहित उप जिला जनगणना अधिकारी के माध्यम से अथवा जिला जनगणना अधिकारी को भिजवाने की कार्यवाही करना।

xvi. इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करना कि उनके चार्ज में स्थित सुपरवाईजर व प्रगणक सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित रहे हैं तथा कार्य पूर्ण किया है।

xvii. अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्य जो जनगणना 2021 को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने हेतु आवश्यक हो, करना।

4. **सुपरवाईजर** :– जिला जनगणना अधिकारी/चार्ज अधिकारी की ओर से सुपरवाईजर की नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। सुपरवाईजर्स से जनगणना 2021 के संबंध में निम्न अपेक्षा की गयी हैं:–

i. CMMS पोर्टल पर स्वयं की पूर्ण जानकारी को स्व अधिकृत करना तथा क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रगणकों की पूर्ण जानकारियों को प्रगणकों से स्व अधिकृत करवाना सुनिश्चित करना।

ii. क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रगणकों की प्रशिक्षण में उपस्थिति एवं प्रशिक्षण के अन्त में जनगणना संबंधी सामग्री प्राप्त किये जाने की सुनिश्चिता करना।

iii. सुपरवाईजर के क्षेत्र में आने वाले प्रगणकों के क्षेत्र को चिन्हित करना।

iv. प्रत्येक HLB/EB की सीमाओं को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु संबंधित प्रगणक के साथ उसके क्षेत्र की HLB/EB की विजिट करना।

v. सुपरवाईजर के अधीन आने वाले प्रगणकों को आवंटित HLB/EB की सीमाओं के संबंध में एक सुपरवाईजरी सर्किल मेप महत्वपूर्ण लैण्डमार्क प्राकृतिक स्थान आदि का उल्लेख करते हुए तैयार किये जाने की कार्यवाही करना।

vi. मेपिंग 2021 मोबाईल ऐप का प्रयोग करते हुए HLB/EB की सीमावर्ती बाउण्ड्री के स्थानों को केप्चर करना (इस संबंध में विस्तृत निर्देश मोबाईल मेपिंग ऐप के संबंध में जारी यूजर मेन्यूअल में देखे जा सकते है)।

vii. सुपरवाईजर के क्षेत्राधिकार में स्थित प्रगणकों से निर्धारित समय सीमा में जनगणना संबंधी कार्य सुनिश्चित करवाना।

viii. सुपरवाईजर के क्षेत्र में आने वाले प्रगणकों को आवंटित HLB/EB में सम्पूर्ण एरिया की कवरेज, मकान, गृह स्वामी व घर के सभी सदस्यों को शामिल किया गया है, की सुनिश्चिता करना।

ix. HLB/EB के बीच में कोई भी एरिया नही छुटे इसके लिये स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का भ्रमण करने का कार्य।

x. यदि सुपरवाईजर के क्षेत्र के प्रगणक द्वारा मोबाईल ऐप का उपयोग करते हुए डाटा केप्चर किये गये है तो प्रगणक द्वारा आंकड़ों के Synchronization के बाद तत्काल स्वयं के मोबाईल से अथवा प्रगणक के मोबाईल से सुविधा अनुसार रिकॉर्ड को चैक करना सुनिश्चित करना।

xi. जिन प्रगणकों द्वारा पेपर मोड पर जनगणना कार्य किया जायेगा। उन प्रगणकों की HLB/EB के संबंध में मकानसूचीकरण व मकान की गणना के संबंध में प्रगणक द्वारा तैयार की गयी मकानसूचीकरण का सारांश व जनसंख्या जनगणना का सारांश CMMS पोर्टल पर प्रविष्टि करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

xii. जनगणना 2021 के द्वितीय चरण में जनसंख्या की जनगणना के दौरान प्रगणकों को द्वितीय चरण की अन्तिम दिवस की रात्रि को बेघर परिवारों की जनगणना करवाने में सहयोग करना।

xiii. सुपरवाईजर के क्षेत्र में स्थित प्रगणकों द्वारा उन्हें आवंटित कार्य मोबाईल ऐप/पेपर मोड के माध्यम से हर तरह से पूर्ण होने की सुनिश्चिता करना।

xiv. सुपरवाईजर के क्षेत्र में स्थित प्रगणकों से भरी हुई अनुसूचियां/खाली फॉर्म/वांछित अन्य सूचनायें तथा प्रगणक को आवंटित क्षेत्र का पूर्णतः कवरेज किये जाने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही।

xv. जनगणना संबंधी कार्य सम्पन्न होने के अधिकतम दो दिवस में समस्त दस्तावेज सुपरवाईजर के हस्ताक्षर सहित चार्ज अधिकारी को भिजवाने/संभलवाने की कार्यवाही करना।

xvi. चार्ज अधिकारी द्वारा जनगणना के संबंध में समय–समय पर ली जाने वाली बैठकों में उपस्थिति व आवंटित कार्य को पूर्ण करना।

5. **<u>प्रगणक</u>** :– जिला जनगणना अधिकारी/चार्ज अधिकारी की ओर से प्रगणक की नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। प्रगणकों से जनगणना 2021 के संबंध में निम्न अपेक्षा की गयी हैं :–

i. CMMS पोर्टल पर स्वयं की पूर्ण जानकारी को बैंक के खाते सहित स्व अधिकृत करना।

ii. प्रगणक को आवंटित ब्लॉक EB का नजरी नक्शा तैयार करना।

iii. नजरी नक्शे में सभी भवनों को नम्बर देना, प्रत्येक भवन में स्थित जनगणना भवनों को नम्बर देना व अन्य महत्वपूर्ण सीमा चिन्हों/ऐतिहासिक स्थलों (Landmarks) को अंकित करने का कार्य।

iv. मकानों की नम्बरिंग को अद्यतन किये जाने का कार्य।

v. दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार विभिन्न अनुसूचियों को भरने का कार्य करना।

vi. प्रगणक के क्षेत्र में आने वाले सभी भवनों के मकानों के सूचीकरण व गणना में शामिल होने का सुनिश्चित करना।

vii. जनगणना जनसंख्या के दौरान होने वाले पुनरीक्षण चरण में आवश्यक रूप से क्षेत्र में जाना व रिकॉर्ड को अद्यतन करना।

viii. पेपर मोड के आधार पर प्रगणक का कार्य किये जाने पर इकठ्ठे किये गये आंकड़ों का सारांश तैयार करना। जिसमें प्रगणक को आवंटित ब्लॉक की लोकेशन का उल्लेख होने के साथ–साथ अनुसूचियों के लिये पूछी गयी विभिन्न जानकारियां व अन्य सूचनायें, जो कि सारांश तैयार करने हेतु ली गयी है, भी साथ में संलग्न करना।

ix. संबंधित सुपरवाईजर को सभी दस्तावेज जिसमें भरे हुए, आंशिक भरे हुए व खाली फॉर्म व अनुसूची शामिल है, को निर्धारित समयावधि में सौपने का कार्य।

6. **<u>जनगणना अधिनियम, 1948 में वर्णित शास्तियां</u>** :– जनगणना कार्य हेतु नियोजित अधिकारियों/कार्मिकों व आमजन के संबंध में जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा–11 में शास्तियों के प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

1. (क) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन करने से इन्कार करेगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्त्तव्य का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित या बाधित करेगा, या

(क) (क) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन करने में युक्तियुक्त तत्परता बरनते में उपेक्षा करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्त्तव्य का पालन करने में या किसी ऐसे आदेश का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबाधित या बाधित करेगा, या

(ख) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी, जो साशय कोई संतापकारी या अनुचित प्रश्न करेगा या जानते हुए कोई मिथ्या विवरणी तैयार करेगा, या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई ऐसी जानकारी प्रकट करेगा, जो उसने जनगणना विवरणी से, या उसके प्रयोजन के लिए, प्राप्त की है, या

(ग) कोई ऐसा सार्टर, संकल्प या जनगणना कर्मचारीवृन्द का अन्य सदस्य, जो किसी जनगणना दस्तावेज का अपसारण करेगा, उसे छिपाएगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा या उसे नष्ट करेगा अथवा किसी जनगणना दस्तावेज को इस प्रकार व्यवहार में लाएगा, जिससे जनगणना परिणामों के सारणीयन का मिथ्याकरण या ह्रास होना संभाव्य हो,

को जुर्माने से, जो 1,000/– रूपये तक का हो सकेगा और भाग–क, भाग–ख या भाग–ग के अधीन दोष सिद्धि की दशा में कारावास से भी, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

2. जो कोई उप धारा (1) के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनगणना 2021 के विभिन्न चरणों के लिये पदाभिहित अधिकारीगण व जनगणना हेतु नियुक्त किये गये/किये जाने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधितों को उपरोक्त निर्देशों के संबंध में अवगत कराते हुए पालना सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट कराने का श्रम करें।

भवदीय,

(साँवर मल वर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, प्रथम तल, एनडीसीसी बिल्डिंग–।।, जयसिंह रोड़, नई दिल्ली–110001
2. उप महारजिस्ट्रार (सी एण्ड टी) प्रथम तल, एनडीसीसी बिल्डिंग–।।, जयसिंह रोड़, नई दिल्ली–110001
3. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव (आयोजना) एवं राज्य समन्वयक जनगणना–2021
5. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं नोडल अधिकारी, जनगणना–2021, योजना भवन, जयपुर।
6. समस्त संभागीय जनगणना अधिकारी (संभागीय आयुक्त)।
7. समस्त प्रमुख जिला जगनणना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर)।
8. समस्त उप जिला जनगणना अधिकारी (उप निदेशक/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)।
9. समस्त उपखण्ड जनगणना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)।
10. समस्त तहसील जनगणना अधिकारी (तहसीलदार)।
11. समस्त नगर जनगणना अधिकारी (आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी)।
12. निजी सहायक निदेशक महोदय।
13. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान।
14. श्री लोकेश जैन, डीपीए ग्रेड–। को निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. गार्ड फाईल।

(अतुल वर्मा)
उप निदेशक